न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 16/2019
अन्तर्गत धारा :— 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. श्रीमती सुशीला उर्फ पुष्पा पुत्री स्व. श्री भंवर लाल सुराणा, पत्नि स्व. श्री प्रीतम सिंह बागरेचा निवासी सहाड़ा हाल निवासी एम.एल.वी. कॉलेज के पीछे, काशीपुरी, जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थीया

बनाम

1. भैरू लाल पुत्र स्व. श्री भंवर लाल सुराणा निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा—राज.
2. गणपत लाल पुत्र स्व. श्री भंवर लाल सुराणा निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा—राज.
3. श्रीमति प्रेम देवी पुत्री स्व. श्री भंवर लाल सुराणा, पत्नि स्व. श्री कोमल सिंह आंचलिया निवासी सहाड़ा हाल निवासी पानी की टंकी के पास, अम्बेश हॉस्पीटल के सामने, आजाद नगर भीलवाड़ा—राज.
4. अक्षय कुमार पुत्र स्व. लक्ष्मीलाल सुराणा निवासी सहाड़ा हाल निवासी सम्पत सिंघवी 203, माधव बाग रेजिडेन्सी पर्वत पाटीया, सुरत, जिला सुरत — गुजरात
5. श्रीमति कविता पत्नि स्व. श्री लक्ष्मीलाल सुराणा निवासी सहाड़ा हाल निवासी सम्पत सिंघवी 203, माधव बाग रेजिडेन्सी पर्वत पाटीया, सुरत, जिला सुरत — गुजरात
6. मूलचन्द सुनार पुत्र स्व. श्री बिहारी लाल सुनार निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, 6—ए—1, आर. सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा—राज.
8. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार सहाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीया : श्री रितेश सुराणा
अधिवक्ता विपक्षीगण : श्री मुकेश कुमार चौधरी

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या 01 से 05 एक ही परिवार के सदस्य होकर भाई —बहन है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या 01 से 05 स्व. श्री भंवर लाल पुत्र स्व. श्री इन्द्रमल सुराणा के वारिस हैं और प्रार्थीया भंवर लाल की पुत्री है और विपक्षीगण संख्या 01 व 02 पुत्र है तथा विपक्षीगण संख्या 03 पुत्री है और विपक्षीगण संख्या 04 व 05 भंवर लाल के पुत्र लक्ष्मीलाल के पुत्र व पत्नि होने से पौत्र व पुत्र वधु हैं। विपक्षीगण संख्या 05 लक्ष्मीलाल की की पत्नि है परन्तु लक्ष्मीलाल की मृत्यु के बाद दुसरा विवाह कर लिया जिससे उनके हाल अधिकार समाप्त हो गये परन्तु विपक्षीगण संख्या 05 का नाम जमाबंदी में दर्ज होने से पक्षकार बनाया है। विपक्षीगण संख्या 06 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया है एंव विपक्षीगण संख्या 07 आराजियात में से राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भूमि अवाप्त करने से सह हिस्सेदार होने से नाम दर्ज हुआ है। जिससे पक्षकार बनाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:17:42 IST
Reason: SelfAttested

यह कि ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में खाता संख्या 109 में दर्ज अराजी संख्या 2265 रकबा 0.2200 हे0, 2266 रकबा 0.2000 हे0, 2267 रकबा 0.3100 हे0,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

2268 रकबा 0.3300 हे0, 2269 रकबा 0.4800 हे0कुल किता 5 कुल रकबा 1.5400 हे0 लगानी 6.16 रूपयें स्थित है।

यह कि उक्त आराजियात के साबिक आराजियत नम्बर 986/1 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज थी। साबिक आराजी नम्बर 986/1 में से पूर्व में भीलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग निकला तब भूमि अवाप्त की गई जो भूमि सड़क में चली गई और सड़क का नम्बर दर्ज हो गया उक्त साबिक आराजी नम्बर 986/1 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा भूमि का प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या 01 से 05 के पूर्वज भंवर लाल के जीवनकाल में ही भंवरलाल एवं शांतिलाल के मध्य विभाजन होकर सड़क की तरफ आधा हिस्सा भंवर लाल हिस्से में एवं पीछे का हिस्सा यानि पश्चिम दिशा का हिस्सा शांतिलाल के हिस्से में था और मौके पर काविज हो काश्त और उपयोग उपभोग करते आ रहे है। शांतिलाल ने अपना हिस्सा जो मौके पर स्थित था मौके पर कब्ज अनुसार विपक्षीगण संख्या 06 मूलचन्द को विक्रय किया और मूलचन्द का कब्जा भी उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में ही है।

यह कि उक्त आराजियात में भंवर लाल का 1/2 हिस्सा था और भंवर लाल के 1/2 हिस्से में से उक्त आराजियात में प्रार्थीया 1/10 हिस्सा एवं विपक्षीगण संख्या 01, 02, व 03 का एवं विपक्षीगण संख्या 04, 05 का समान हक हिस्सा हैं। प्रार्थीया का 1/10 हक हिस्सा एवं विपक्षीगण संख्या 01 का 1/10 हिस्सा , विपक्षीगण संख्या 02 का 1/10 हिस्सा एवं विपक्षीगण संख्या 03 का 1/10 हिस्सा एवं विपक्षीगण संख्या 04 व 05 का 1/10 हिस्सा है। उक्तानुसार प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या 01 व 05 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री पारित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

यह कि प्रथम दृष्टिया केस , सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तत्व प्रार्थीया के पक्ष में है। क्योंकि उक्त आराजियात पैतृक पुश्तैनी आराजियात है और विरासत से प्रार्थीया का 1/10 हक हिस्सा अधिकार निहित हैं भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात् विरासत में प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं हुआ। जबकि प्रार्थीया प्रथम श्रेणी की वारिस है इसलिए प्रार्थीया की कब्जेकाश्त में विपक्षीगण किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें और नही किसी अन्य से करावें एवं ताफैसला वादपत्र रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

यह कि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो विपक्षीगण संख्या 01 से 05 किसी अन्य को विक्रय या खुर्द बुर्द कर देगें तो प्रार्थीया को भारी असहनीय क्षति होगी। इसलिए न्यायहित में ताफैसला वादपत्र उक्त आराजियात की रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकरग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में खाता संख्या 109 में दर्ज आराजी संख्या 2265 रकबा 0.2200 हे0, 2266 रकबा 0.2000 हे0, 2267 रकबा 0.[illegible] हे0, 2268 रकबा 0.3300 हे0, 2269 रकबा 0.4800 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.5400 हे0 में प्रार्थीया के 1/10 हक हिस्से तक कब्जेकाश्त में विपक्षीगण किसी प्रकार दखल न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावे तथा आराजियात को

2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:17:42 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

किसी अन्य को रहन विकय , बक्षीश नही करें, रेकार्ड एवं मौके की ताफैसला वादपत्र तथा यथा स्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीगण को उक्त प्रकरण में राजस्व केम्प सहाड़ा के सम्मन नोटिस जारी किये गये विपक्षीगण उपस्थित। प्रार्थीया व उसके अधिवक्ता को उक्त प्रकरण में सुना गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहीर नहीं की। यह निर्विवाद है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीया का 1/10 हिस्सा बनता है। विपक्षीगण ने उक्त प्रकरण में कोई जवाव पेश नहीं किया। प्रार्थीया का उक्त प्रकरण में प्रथम प्रथमदृष्टिया मामला बनना पाया जाता है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थीया को अपुरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

अतःप्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में खाता संख्या 109 में दर्ज अराजी संख्या 2265 रकबा 0.2200 हे0, 2266 रकवा 0.2000 हे0, 2267 रकबा 0.3100 हे0, 2268 रकबा 0.3300 हे0, 2269 रकबा 0.4800 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.5400 हे0 में से प्रार्थीया के 1/10 हक हिस्से को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरीत नहीं करे तथा विपक्षीगण मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:17:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner